संख्या-3/2237/अड़तीस-5-2013-52सम/2013

प्रेषक,

जावेद उस्मानी,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2 समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3 अधिशासी निदेशक, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन,लखनऊ।

ग्राम्य विकास अनुभाग-5 लखनऊः दिनाक 25 नवम्बर,2013

विषयः-ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित की जा रही ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय (मुस्लिम, सिक्ख, इसाई, बौद्ध, पारसी एवं जैन) के सर्वागीण विकास के लिए प्रदेश सरकार कटिबद्ध है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुये शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त अल्पसंख्यक वर्ग को प्रदेश की विकास योजनाओं में उनका वाजिब हक दिलाये जाने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं में उनकी जनसंख्या के आधार पर 20 प्रतिशत मात्राकरण अल्पसंख्कों हेतु किये जाने का निर्णय लिया गया है ताकि प्रदेश में चलने वाली विभिन्न विकास योजनाओं एवं कार्यक्रमों में अल्पसंख्यक समुदाय को सामाजिक न्याय की परिधि में लाते हुये उन्हें न्यायोचित हिस्सा मिल सके तथा उनकी सहभागिता सुनिश्चित हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को निर्धारित लक्ष्य के के अनुरूप अनुमन्य कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1533/52-3-13-सा (30)/13, दिनांक 24-08-2013 निर्गत किया गया है। शासनादेश में चिन्हित कल्याणकारी योजनाओं में ग्राम्य विकास विभाग की ग्रामीण पेयजल योजना भी सम्मिलित है।

2 शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण पाइप पेयजल पेयजल योजनाओं का लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को उपलब्ध कराने के दृष्टिगत निम्नानुसार कार्यवाही की जायः-

(I) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के जिन-जिन जनपदों में जितनी संख्या में नई ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाए स्वीकृत होंगी उन-उन जनपदों की अल्पसंख्यक आबादी के प्रतिशत के हिसाब से ही नई ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाएं अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों में स्थापित किये जायेंगे । (प्ररूप-2)

(II) मात्राकरण नवीन स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या के आधार पर ही किया जाय।

(III) प्रयास ये किया जाय कि मात्राकृत धनराशि से उन ग्रामों/ मजरों को आच्छादित किया जाय जिसमें अल्पसंख्यक जनसंख्या 25 प्रतिशत से अधिक हों।

http://shasanadesh.up.nic.in

(IV) जनपद स्तर पर जिलाधिकारी द्वारा जनपद को आवंटित लक्ष्य को पूरा करने के लिए जनसंख्यावार ग्राम व अल्पसंख्यक बाहुल्य मजरों को स्थानीय स्तर पर लक्ष्य आवंटित करते हुए यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके जनपद को आवंटित लक्ष्य शतप्रतिशत पूर्ति हो जाय। यदि यदि किसी कारण से लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता है तो विचारोपरान्त प्रकरण तत्काल शासन को संदर्भित किया जाएगा।

(V) उपरोक्त योजना की समीक्षा हेतु निर्धारित प्ररूप-1 संलग्न किया जा रहा है। इस प्रारूप पर प्रत्येक प्रत्येक माह की 07 तारीख तक वांछित विवरण / सूचना शासन के सम्बन्धित विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी। सम्बन्धित विभाग परीक्षणोपरान्त प्रत्येक माह की 12 तारीख तक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को संकलित रूप से विवरण उपलब्ध करायेंगे।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत पाइप पेयजल योजनाओं का लाभ प्रदेश के अल्पसंख्यक समुदाय को उपरोक्तानुसार उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में कार्यवाही करते हुए योजना से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-1533/52-3-13-सा (30)/13, दिनांक 24-08-2013 में निर्धारित अन्य शर्तो / प्रक्रिया का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
(जावेद उस्मानी)
मुख्य सचिव।

संख्याः 2237(1)/अड़तीस-5-2013, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
(2) सचिव, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(3) आयुक्त, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
(4) निदेशक, पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश।
(5) प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम, लखनऊ।
(6) प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 स्टेट एग्रो इण्डस्ट्रियल कार्पो0 लि0 लखनऊ।
(7) समस्त मुख्य विकास अधिकारी/ जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(8) निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(9) समस्त जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
(10)गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(अरुण सिंघल)
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

विभाग का नाम-

माह

प्ररूप-1

प्रदेश के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित की जा रही विभिन्न लाभकारी योजनाओं योजनाओं का लाभ अल्पसंख्यकों को अनुमन्य कराये जाने की योजना की मासिक समीक्षा का निर्धारित प्ररूप ।

क्र0सं0	जनपद का नाम	योजना का नाम	अल्पसंख्यकों हेतु मात्राक़त वार्षिक लक्ष्य	इकाई	संदर्भित माह तक उपलब्धि का प्रतिशत	उपलब्धि का प्रतिशत	सन्दर्भित माह तक लक्षित उपलब्धि का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8

http://shasanadesh.up.nic.in

'kklukn'k l[;k& 2237 @38&5&2013] fnukd 25 uoEcj] 2013 dk lyXud

jk"Vh; xkeh.k i;ty dk;de d vUrxr dojt ¼lkekU;½ dEikuUV l Lohdr u;h xkeh.k ikbi i;ty ;ktukvk dk vYil[;d tul[;k d vuikr e foHkktu gr lphA

d-l-	fty dk uke	tuin dh 2013 dh tul[;k	tuinokj vYil[;dk dh tul[;k	vYil[;d tul[;k dk ifr'kr ¼%)	tuin e Lohdr ub xkeh.k ikbi i;ty ;ktukvk l vkPNkfnr etjk dh dy l[;k	dy vkPNkfnr etjk e l vYil[;d ckgY; etjk dh l[;k
1	2	3	4	5	6	7
1	lgkjuij	2495850	1275979	51		
2	et¶Qjuxj	2013598	584763	29		
3	'kkeyh	1056690	313781	30		
4	ejB	1751887	666715	38		
5	ckxir	1069144	310888	29		
6	xkft ;kckn	817576	128635	16		
7	gkiM	762286	280430	37		
8	xkrec)uxj	700758	135757	19		
9	cyUn'kgj	2737012	603488	22		
10	ejknkckn	2000035	942102	47		
11	vejkgk	1436768	720711	50		
12	fctukj	2867697	862378	30		
13	lEHky	1751551	431305	25		
14	jkeij	1817059	956667	53		
15	cnk;	2733525	569968	21		
16	cjyh	2419422	1069247	44		
17	ihyhHkkr	1746776	485122	28		
18	'kkgtgkij	2508944	501173	20		
19	vyhx<	2554966	491925	19		
20	¼gkFkjl½	1281296	142113	11		
21	,Vk	1566592	220821	14		
22	dklxt	1194452	147257	12		
23	eFkjk	1862839	156884	8		
24	vkxjk	2490386	266904	11		
25	fQjktkckn	1731586	251834	15		
26	euijh	1643290	118771	7		
27	y[kheij [khjh	3702616	809034	22		
28	lhrkij	4111336	795249	19		
29	gjnkb	3693081	515561	14		
30	jk;cjyh	2245954	235382	10		
31	y[kuÄ	1612876	362099	22		
32	mUuko	2679790	321136	12		
33	dkuij ngkr	1687775	179559	11		
34	dkuij uxj	1628248	297597	18		
35	Q:[kkckn	1527780	239359	16		
36	dUukt	1430806	234513	16		
37	bVkok	1264131	102046	8		
38	vkj;k	1191136	96547	8		

d-l-	fty dk uke	tuin dh 2013 dh tul[;k	tuinokj vYil[;dk dh tul[;k	vYil[;d tul[;k dk ifr'kr ¼%)	tuin e Lohdr ub xkeh.k ikbi i;ty ;ktukvk l vkPNkfnr etjk dh dy l[;k	dy vkPNkfnr etjk e l vYil[;d ckgY; etjk dh l[;k
39	tkyku	1321917	148251	11		
40	>klh	1211724	112820	9		
41	yfyrij	1088063	54896	5		
42	cknk	1584601	136012	9		
43	egkck	718200	47885	7		
44	fp=dV	931214	32703	4		
45	gehjij	930214	87962	9		
46	ckjkcdh	3047092	682673	22		
47	Qtkckn	2215973	336054	15		
48	vEcMdjuxj	2201844	384772	17		
49	lYrkuij	2391627	252289	11		
50	veBh	2324975	206557	9		
51	cgjkbp	3331834	950917	29		
52	cyjkeij	2061565	717912	35		
53	JkoLrh	1121860	369486	33		
54	xkMk	3337246	628378	19		
55	fl)kFkuxj	2494550	718723	29		
56	cLrh	2419422	380561	16		
57	lr dchjuxj	1650118	433918	26		
58	egkjktxt	2651972	452237	17		
59	xkj[kij	3748957	364463	10		
60	nofj;k	2895509	354482	12		
61	d'khuxj	3532294	595717	17		
62	cfy;k	3053092	213340	7		
63	vktex<	4389332	702930	16		
64	eÄ	1775030	362852	20		
65	xkthij	3479744	365321	10		
66	pUnkyh	1778611	193587	11		
67	tkuij	4313529	495155	11		
68	okjk.klh	2162982	382882	18		
69	bykgkckn	4660779	615991	13		
70	dk'kkEch	1534146	206074	13		
71	irkix<	3155255	456951	14		
72	Qrgij	2403170	349397	15		
73	fetkij	2235379	176307	8		
74	jfonkl uxj	1402867	181055	13		
75	lkuHkn	1610146	89739	6		
	;kx	**160954347**	**30064949**	19		

* ,l etjk dk vYil[;d ckgY; ekuk tk; ftue vYil[;dk dh vkcknh 25 ifr'kr ;k bll vf/kd gkA

¼f'ko dekj ikBd½
vu lfpoA